

स्पीड पोस्ट

संख्या-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

आवंटनादेश

प्रेषक,

प्रकाश कुमार
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना/बेगूसराय/मुजफ्फरपुर/भागलपुर/छपरा/दरभंगा/पूर्णियाँ/गया ।
सहायक श्रमायुक्त, सहरसा/सीवान/डालमियानगर(रोहतास)/मुंगेर/कटिहार/बेतिया ।
श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर/सीतामढ़ी/वैशाली(हाजीपुर)/खगड़िया/औरंगाबाद/गोपालगंज/मधुबनी
/जहानाबाद/नालन्दा (बिहारशरीफ)/किशनगंज/जमुई/मोतिहारी/नवादा/भोजपुर (आरा) ।

पटना, दिनांक :- 23-11-15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-
उपशीर्ष -0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011030103) के
अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.5.15 के आलोक में
बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू
वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त सामग्री एवं पूर्तियाँ इकाई (21 01) में ₹
1500/- राशन एवं ₹ 300/- वस्त्र अर्थात् कुल ₹ 1800/- प्रति बाल श्रमिक की दर से सभी 675 बाल श्रमिकों
को संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का अतिरिक्त आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन कुल ₹ 12,15,000 (₹ बारह लाख पन्द्रह हजार) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0
दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2)
दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से
अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ससमय उपलब्ध करा
दी जाय ।

5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित
प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी /प्रशाखा-2 सरकार
पक्ष / श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-212 (श्रम पक्ष) दिनांक-20.11.15 के आलोक में) /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा द्वारा किया जायेगा ।

(प्रकाश कुमार)
श्रमायुक्त, बिहार ।

विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-1455 दिनांक 18.5.15 के आलोक में आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड पी 2230011030103) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में 31 मार्च 2016 तक व्यय के निमित्त निधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	बच्चे की संख्या	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01) ₹ 1500/- राशन एवं ₹ 300/- वस्त्र हेतु प्रति बाल श्रमिक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	उप श्रमायुक्त, बेगुसराय	11	19800	-
2	उप श्रमायुक्त, भागलपुर	36	64800	भागलपुर के 17 तथा बांका के 19 बाल श्रमिकों के लिए
3	उप श्रमायुक्त, छपरा	24	43200	-
4	उप श्रमायुक्त, दरभंगा	11	19800	-
5	उप श्रमायुक्त, पूर्णियाँ	41	73800	पूर्णियाँ के 32 एवं अररिया के 09 बाल श्रमिकों के लिए
6	उप श्रमायुक्त, गया	20	36000	-
7	उप श्रमायुक्त, पटना	56	100800	-
8	उप श्रमायुक्त, मुजफ्फरपुर	22	39600	-
9	सहायक श्रमायुक्त, सहरसा	29	52200	सहरसा के 12, मधेपुरा के 12 एवं सुपौल के 05 बाल श्रमिकों के लिए
10	सहायक श्रमायुक्त, सीवान	07	12600	-
11	सहायक श्रमायुक्त, बेतिया	21	37800	-
12	सहायक श्रमायुक्त, डालमियानगर (रोहतास)	08	14400	डालमियानगर (रोहतास) के 06 एवं भभुआ (कैमूर) के 02 बाल श्रमिकों के लिए
13	सहायक श्रमायुक्त, कटिहार	19	34200	-
14	सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर	30	54000	मुंगेर के 14, लखीसराय के 15 एवं शेखपुरा के 01 बाल श्रमिकों के लिए
15	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर	24	43200	-
16	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी	19	34200	सीतामढ़ी के 16 तथा शिवहर के 03 बाल श्रमिकों के लिए
17	श्रम अधीक्षक, वैशाली (हाजीपुर)	54	97200	-
18	श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद	08	14400	-
19	श्रम अधीक्षक, गोपालगंज	10	18000	-
20	श्रम अधीक्षक, जमुई	09	16200	-
21	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद	12	21600	जहानाबाद के 04 तथा अरवल के 08 बाल श्रमिकों के लिए
22	श्रम अधीक्षक, नालन्दा (बिहारशरीफ)	31	55800	-
23	श्रम अधीक्षक, किशनगंज	31	55800	-
24	श्रम अधीक्षक, मोतिहारी	48	86400	-
25	श्रम अधीक्षक, भोजपुर (आरा)	38	68400	बक्सर के 10 तथा भोजपुर के 28 बाल श्रमिकों के लिए
26	श्रम अधीक्षक, नवादा	14	25200	-
27	श्रम अधीक्षक, मधुबनी	34	61200	-
28	श्रम अधीक्षक, खगड़िया	08	14400	-
कुल योग		675	12,15,000	

कुल आवंटित अतिरिक्त राशि ₹ 12,15,000 (₹ बारह लाख पन्द्रह हजार) मात्र ।

(प्रकाश कुमार) 20/11/15
श्रमायुक्त, बिहार ।

20/11/15 81